

पीठसभान अधिकारि उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदातल शंखावाटी (सीकर)
 उपखण्ड अधिकारी रामगढ-शंखावाटी (सीकर) कोर्ट 2018

3/5/18
 ()

रामगढ-शंखावाटी को भुकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना

7/5/18

पीठसभान अधिकारि उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदातल शंखावाटी (सीकर)
 उपखण्ड अधिकारी रामगढ-शंखावाटी (सीकर) कोर्ट 2018

ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रतिस्ति (अशुद्ध प्रतिस्ति)	आदेश (शुद्ध प्रतिस्ति जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
59 (ताम)		जाली प्रतिस्ति	जाली प्रतिस्ति
59 (ताम)		जाली प्रतिस्ति 1/2	जाली प्रतिस्ति 1/2
		जाली प्रतिस्ति	जाली प्रतिस्ति
		जाली प्रतिस्ति 1/2	जाली प्रतिस्ति 1/2
		जाली प्रतिस्ति	जाली प्रतिस्ति
		जाली प्रतिस्ति	जाली प्रतिस्ति

व मूअनि 2018 को रिपोर्ट तैयार की अर्थात् प्रार्थना पर एवं पटवारी को अर्थात् प्रार्थना पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शंखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी में खाला संख्या 59 (ताम) में वर्तमान में दर्ज प्रतिस्ति को

:- आदेश :-

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ-शंखावाटी (सीकर)

3.5.18